

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Transfer Appl. No. 155/2024

Smt. Rekha Yadav

-----Petitioner

Versus

Sunny Yadav

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Nishant Gaba

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

17/07/2025

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से पीएफ व नोटिस पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अप्रार्थी को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाने हेतु प्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को दस्ती उपलब्ध करवाई जाए।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

अंतरिम आदेश, यदि कोई पारित किया गया हो तो वह आगामी सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

62-kumawat/-